17.5.18 यह पत्रावली आज पेश हुई। अभिभाषक वादी व अभिभाषक प्रतिवादी उप0। वादी व प्रतिवादीगण को लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा के अनुसार उक्त वादपत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने अपने वादपत्र में इन अभिकथनों के साथ वादपत्र प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादीगण परस्पर एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रतिवादी संख्या–2 जो कि वादी का हकीकी भाई है व प्रतिवादी संख्या–1 का पुत्र है, उसका भी उक्त कृषि भूमि में पैतृक हक व हिस्सा है लेकिन प्रतिवादी संख्या–2 जो मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग है तथा स्वयं कुछ भी करने में असक्षम है, जिस कारण उसका वादमित्र प्राकृतिक माता को बनाया गया है ताकि उसके हक व हित सुरक्षित रखे जा सके। वादी ने यह भी कथन किये कि प्रतिवादी संख्या–1 के नाम चक 10 एम.डी.बी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–27/34 के पत्थर नम्बर–159/325 (13) के किला नम्बर–11/1 में 0.228, 12, 13,16/0.032,17 ता 19, 20/1 में 0.228 है0, 21/1 0.202, 22/1 0.228, 23/1 0.228, 24/1 में 0.228 कुल 2.639 हैक्टेयर एवं चक 11 एम.डी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–40/56 के पत्थर नम्बर–160/323 (35) के किला नम्बर–16, 17, 24/1 में0. 042, 25/1 में 0.043 है0 कुल 0.590 है0 एवं चक 10 एमडीबी के खाता संख्या–16/19 के पत्थर नम्बर–158/324 (7) किला नम्बर–6 ता 9, 12 ता 14 तादादी 1.771 हैक्टेयर मय खाला रास्ता दर्ज है। चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या–1 को उसके पिता स्व0 श्री रामप्रताप पुत्र श्री रामरख से प्राप्तशुदा कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि वादी सहदायिक होने के कारण प्रतिवादी संख्या–1 को प्राप्त कृषि भूमि बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा है। वादी की शादी के उपरान्त वादी की धर्मपत्नि का परिवारजनों के साथ मनमुटाव हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा वादी को उक्त कृषि भूमि मे उसके हक व हिस्सा अनुसार बांटकर अलग कर दिया था उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या–3 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या–2 की हकीकी बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या–1 की पुत्री है का भी पैतृक हिस्सा बनता है लेकिन प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा उक्त कृषि भूमि में अपना समस्त हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के पक्ष में उसी रोज तर्क कर दिया था। इस प्रकार वादी को उक्त कृषि भूमि

सहायक कलक्टर
एवं ...

1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ। मुताबिक घरूबंटवारा वादी को चक 10 एमडी''बी'' तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–27/34 कि के पत्थर नम्बर–159/325 (13) किला नम्बर–11/1 में 0.228, 12, 13, 16/0.032 है0 प्रत्येक, 17 ता 19, 20/1 में 0.228, 21/1 में 0.202, 22/1 में 0.228, 23/1 में 0.228, 24/1 में 0.228 कुल 2.639 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा का हक व हिस्सा दे दिया था व इसी अनुसार के कब्जा काश्त में में चली आ रही है लेकिन राजस्व अभिलेख में उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या–1 के नाम चली आ रही है जिस कारण वादी के हक व हितों पर विपरीत प्रभाव उपड़ रहा है। इस कारण वादी इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है कि वादग्रस्त आराजी चक 10 एम.डी.वी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–27/34 के पत्थर नम्बर– 159/325 (13) के किला नम्बर–11/1 में 0.228, 12, 13, 16/0.032 हैक्टेयर प्रत्येक, 17 ता 19, 20/1 में 0.228, 21/1 में 0.202, 22/1 में 0.228, 23/1 का 0.228 है0, 24/1 में 0.228 है कुल 2.639 है0 में से 1/2 हक व हिस्सा के खातेदार है एवं इसी अनुसार अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वादपत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि वादी व प्रतिवादीगण का राजीनामा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर किया है। प्रतिवादीगण संख्या–2 से 4 ने प्रतिवादी संख्या–1 नाम दर्ज भूमि कोई हक व हिस्सा नहीं लेने की सहमति दी है तथा अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या–1 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करने में सहमति दी है। इस कारण वादी का वादपत्र मुताबिक राजीनामा व मुताबिक वादपत्र के अनुतोष वादपत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। इस कारण वादी को प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज में चक 10 एम.डी.वी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता 27/34 में 2.639 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादपत्र वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर वादी को प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज में चक 10 एम.डी.वी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता 27/34 में

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

2639 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। हक परित्याग के पंजीयन स्टाम्प पेश होने पर पर्ची डिक्री जारी हो। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.5.2018 को कैम्प रोड़ावाली में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिहं पुरोहित)
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

संशोधन आदेश दिनांक 16.7.2018

वादी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा व प्राप्त आपत्ती-पत्र 10 MDB खाता सं. 27/34 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 को 1/2 - 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खाता से प्रतिवादी सं. 1 ओम पुत्र रामप्रताप का नाम खारिज किया जाता है शेष आदेश दिनांक 17.5.18 यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

13.9.18

प्रा.पत्र 152 CPC पेश होने पर यथावत्‌ पेशी में ली गई। प्रा.पत्र अनुसार पारित डिक्री में कि.नं. 27/1 में 0.228 है. इन्द्राज अंकित है जिसे नाल (नाली) से दुरुस्त किया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner